न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 353 वर्ष 2022

आवेदक–मुरत महतो
ग्राम –भवानी,
थाना –नावाडीह, जिला–बोकारो

क्रेता–लुखरी देवी वगै0
ग्राम–भवानी
थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख साथ। 03

आदेश

यह वाद आवेदक मुरत महतो, पिता–स्व0 उगन महतो, निवास ग्राम–भवानी, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)/**(ख)** के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
भवानी	44	40	124	0.77 ए0	0.019 ए0	टांड I
			224	0.01 ए0	0.00¼ ए0	मकान शहन
			225	0.20 ए0	0.05 ए0	टांड़ I
			360	0.62 ए0	0.15½ए0	टांड II
			1195	0.44 ए0	0.10 ए0	धान खेत II
			1257	0.32 ए0	0.08 ए0	धान खेत I
			1311	0.42 ए0	0.10½ ए0	धान खेत II
			1323	0.11 ए0	$0.02\frac{1}{3}$ ए0	धान खेत I

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो0 4,00,000/रू0–(चार लाख हजार) रूपये में क्रेता 1.लुखरी देवी पति– रेवत लाल महतो, 2. मंगरी देवी पति– मुरत महतो, निवास ग्राम–भवानी, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो के साथ दान–पत्र करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांकः–49/रा0, दिनांक 30.01.23 के माध्यम से अंचल अधिकारी, नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की दान–पत्र की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, नावाडीह के पत्रांकः–18, दिनांक 02.02.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है किः–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला बोकारो के निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में छोटका भोला महतो वल्द पाचु कुरमी के नाम से दर्ज है। ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0 144/I में उगन महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध पिता का है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में छोटका भोला महतो वल्द पाचु कुरमी के नाम से दर्ज है। ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0 144/I में उगन महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। उक्त जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे अपनी दो पुत्रियों को दान करना चाहते है।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैः–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति है ,लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता– आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल हैं जिसे वे अपनी दो पुत्रियों को दान करना चाहते हैं।

अतः आवेदक मुरत महतो, पिता–स्व0 उगन महतो, निवास ग्राम–भवानी, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
भवानी, 44	40	124	0.77 ए0	0.019ए0	जंगल साखु	बिरजु महतो	पोचन महतो	परती कदीम
		224	0.01 ए0	0.00¼ए0	नीज क्रेता	रास्ता	रास्ता	हुलास महतो
		225	0.20 ए0	0.05 ए0	विश्वनाथ महतो वगै0	बिरजु महतो वगै0	रास्ता	विश्वनाथ महतो वगै0
		360	0.62 ए0	0.15½ए0	गनपतिया तुरी	सेवा राम महतो वगै0	गिरधारी महतो	बिरजु महतो वगै0
		1195	0.44 ए0	0.10 ए0	बिरजु महतो	हुलास महतो वगै0	दिपा महतो	दिपा महतो
		1257	0.32 ए0	0.08 ए0	छेदी महतो वगै0	मगन महतो वगै0	बिरजु महतो	हुलास महतो
		1311	0.42 ए0	0.10½ए0	चुरू महतो	रास्ता	बिरजु महता वगै0	पन्नु महतो
		1323	0.11 ए0	$0.02\frac{1}{3}$ ए0	जंगल साखु	कैलाश महतो वगै0	बिरजु महतो वगै0	विश्वनाथ महतो वगै0
			कुल	$70\frac{7}{12}$डी0(सत्तर पूर्णांक सात बटा बारह डिसमिल जमीनमात्र)				

मो0 4,00,000/– (चार लाख) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम् भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता 1.लुखरी देवी पति– रेवत लाल महतो, 2. मंगरी देवी पति– मुरत महतो, निवास ग्राम–भवानी, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो के साथ दान पत्र करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। लेखापित एवं संशोधित। 13.2.24 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)। 13.2.24 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।	

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.07.18 03:11:10 -07:00
Location: 192.168.182.214